रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062020-219826
CG-DL-E-08062020-219826

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1609] नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2020/ज्येष्ठ 18, 1942
No. 1609] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2020/JYAISTHA 18, 1942

Unpacode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून 2020

का.आ. 1792(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 21.01.2020 के पीडी-12001/01/2020- कोफेपोसा के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री गोपाल गुप्ता, सुपुत्र श्री नरेश चंद्र गुप्ता, निवासी 36 एफ, पाकेट-1, मयूर विहार फेज-1, नई दिल्ली-110027 को हिरासत में लिया जाए और तिहाड जेल, नई दिल्ली में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी को बढावा देने और तस्करी के माल का परिवहन करने या छुपाने या रखने द्वारा तस्करी के माल के अन्यथा लेन-देन से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का तामील न किया जा सके।

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के सामने उपस्थित हो।

[सं. पीडी-12001/01/2020 – कोफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA WING)

New Delhi, the 8th June, 2020

S.O. 1792(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12001/01/2020-COFEPOSA dated 21.01.2020 under the said sub-section directing that Shri Gopal Gupta, S/o Shri Naresh Chandra Gupta, R/o 36 F, Pocket-I, Mayur Vihar Phase-I, New Delhi -110027 be detained and kept in Tihar Jail, New Delhi with a view to preventing him from smuggling goods, abetting the smuggling of goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Government of NCT, Delhi within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[No. PD-12001/01/2020-COFEPOSA]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.08 21:00:34 +05'30'